भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2811

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रदूषित नदी खंड

2811. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पंजाब की चार नदियों घग्गर, सतलुज, काली बेईं, ब्यास सहित राज्य-वार प्रदूषित नदी खंडों को चिन्हित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 से अब तक पंजाब में चिह्टिनत किए गए प्रदूषित नदी खंडों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पंजाब की इन चार नदियों में जल गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में कोई सुधार देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब में नदियों के इन प्रदूषित खंडों में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मुकेरियां शहर के साथ-साथ ब्यास नदी और सुल्तानपुर लोधी से ब्यास के संगम तक काली बेईन नदी क्षेत्र की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। घग्गर और सतलुज नदियों की जल गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है।

पंजाब में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की विस्तृत स्थिति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4DQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=

(घ): यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से लागत साझा करने के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा चिन्हित नदियों के प्रदूषित खंडों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदुषित नदी क्षेत्रों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर विचारार्थ प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और इन्हें उनकी प्राथमिकता,

दिशानिर्देशों के साथ अनुरूपता, योजना निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

पंजाब राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, सतलुज नदी लुधियाना शहर से बुड्ढा नाला द्वारा नगरीय, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट के निस्सरण से प्रदूषित हो जाती है। पंजाब सरकार द्वारा अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता से बुड्ढा नाला संरक्षण परियोजना शुरू की गई है।

लुधियाना में लघु/मध्यम स्तर के रंगाई उद्योगों के समूहों से होने वाले औद्योगिक बहिस्त्राव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को चालू किया गया है। अन्य रंगाई इकाइयों में उनके स्वंय के अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के लिए, 0.5 एमएलडी का एक और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) चालू है, इससे बुड्ढा नाला में किसी भी प्रकार के अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन को रोकना सुनिश्चित किया जाता है। डेयरी परिसरों से ठोस अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा ताजपुर डेयरी काम्प्लेक्स में प्रतिदिन 300 टन क्षमता के बायोगैस संयंत्र की परियोजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सरहिंद नहर से बुड्ढा नाला में प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए 200 क्यूसेक नहर के स्वच्छ जल का निस्सरण किया जाता है।

पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1905.85 एमएलडी सीवेज उत्सर्जन के उपचार हेतु 2142 एमएलडी के 128 सीवेज शोधन संयंत्रों के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

******